न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

मुकदमा न. 61/2020

1. बिमला पत्नी जयराम कौम गुर्जर निवासी लादीकाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. हरकेश पुत्र बीरबल
2. सचिन पुत्र बीरबल नाबालिग जरिये संरक्षक माता सन्तरादेवी पत्नी बीरबल
3. सन्तरा देवी पत्नी बीरबल

   समस्त कौम गुर्जर निवासीयान लादीकाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
4. मुकेशी पुत्री बीरबल पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी दुखोरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
5. सुमन पुत्री बीरबल पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी दुखोरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
6. पूजा पुत्री बीरबल पत्नी गोरधन जाति गुर्जर निवासी माहरौली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
7. श्योपाल पुत्र बीजा जाति गुर्जर निवासी दयोराता का बास देवनगर तहसील बानसूर जिला अलवर।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादीगण

<u>वदपत्र बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित प्रार्थी की ओर सेः– श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट

<u>निर्णय</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 19.05.2025

वादी का वादपत्र संक्षेप मे इस प्रकार पेश है कि राजस्व ग्राम लादी [illegible]स प0ह0 रायपुरपाटन तहसील नीमकाथाना के पुराने ख0नं0 47, 153, 191, 202 कुल किता 4 कुल रकबा 0.62 के रूप में अवस्थित हैं। जिसके पांच आना

सहायक कलक्टर (F.T.)
(सीकर)

हिस्सा की खातेदारी श्योपाल पुत्र बीजा कौम गुर्जर निवासी लादी का बास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही हैं। उक्त श्योपाल प्रतिवादी सं0 7 को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त भूमियों में अपने नाम दर्ज पांच आना हिस्सा सम्पूर्ण (0.19375 है0) का विक्रय वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 09.06.2005 को कर दिया एवं वादिया को उक्त विक्रय भूमि का कब्जा सम्भला दिया जिस पर वादिया बहैसियत मालिक काबिज हो गई। वादिया ने उक्त विक्रय लेख के आधार पर नामान्तरकरण सं0 149 वादिया के हक में भर कर वादिया के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गई। वादिया जब दिनांक 07.10.2020 को अपने हिस्से पर ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए राजस्व अभिलेख की जानकारी ली तब मालूम हुआ कि वादिया के नाम उक्त खसरा नम्बरान में केवल 0.060 हेक्टर भूमि ही राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। प्रतिवादी सं0 7 द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूण पांच आना हिस्सा वादिया को विक्रय कर दिये जाने के पश्चात प्रतिवादी सं0 7 का कोई हिस्सा भूमियों में शेष नही रहा था किन्तु प्रतिवादी सं0 7 ने उक्त भूमियों में अपने नाम 11/16 हिस्सा शेष होना अंकित करते हुए उक्त भूमियों के साथ–साथ ख0नं0 127, 265 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 में पांच आना हिस्सा सहित का विक्रय लेख दिनांक 29.07.2008 को स्व0 बीरबल पुत्र नानगा पति पिता प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के हक में निष्पादित कराने की कार्यवाही की। जिसका प्रतिवादी सं0 7 को कोई अधिकार नही था। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 7 के नाम दर्ज पांच आना हिस्सा सम्पूर्ण पूर्व में ही वादिया को विक्रय कर दिया गया था जिसके पश्चात किया गया विक्रय शून्य एवं प्रभावहीन हैं। इस बाबत प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को कहने पर प्रतिवादीगण ने अधिक भूमि दीगर लोगों को विक्रय करने की धमकी देना शुरू कर दिया इसी कारण वाद कारण उत्पन्न होकर अन्दर मियाद वादपत्र पेश किया गया हैं।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन नोटिस की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में साक्ष्य वादी के रूप में वादी ... शपथ पत्र पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

वादी के वादपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पेशशुदा शपथ–पत्रों का घ्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया। चूंकि प्रतिवादी सं0 7 ने उक्त भूमियों में अपने नाम दर्ज

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

पांच आना हिस्सा सम्पूर्ण (0.19375 है0) का विक्रय वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 09.06.2005 को कर दिया एवं वादिया को उक्त विक्रय भूमि का कब्जा सम्भला दिया। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

–: आदेश :–

तन ग्राम लादी का बास पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील पाटन जिला सीकर मे अवस्थित भूमि खसरा नम्बर ख0नं0 47, 153, 191, 202 कुल किता 4 कुल रकबा 0.62 में प्रतिवादी सं0 7 द्वारा दिनांक 09.06.2005 को वादिया के हक में किये गये बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के मुताबिक वादिया को उक्त वर्णित भूमि में 0.19375 है0 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इससे प्रभावित सहखातेदारान का हिस्सा दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री मूर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा सरे इजलास दिनांक 19.05.2025 को सुनाया गया।

मुद्रा

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

बिमला पत्नी जयराम, कौम गुर्जर, निवासी लादी का बास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
वादी

बनाम

हरकेश पुत्र बीरबल, कौम गुर्जर, निवासी लादी का बास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर– 61/2020

दावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम लादी का बास पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील पाटन जिला सीकर से अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 47, 153, 191, 202 कुल किता 4 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर में प्रतिवादीय संख्या 07 द्वारा दिनांक 09.06.2005 को वादिया के हक में किये गये बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के मुताबिक वादिया को उक्त वर्णित भूमि में 0.19375 हैक्टेयर हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इससे प्रभावित सहखातेदारान का हिस्सा दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।**

निज................×.......................मुबलिग...................×.........................बाबत.................×......................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×...................................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................×..........................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 19 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर (F.T.)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)
नीमकाथाना(राज0

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:25:23 IST
Reason: SelfAttested